उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना/विज्ञप्ति

उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती
संयुक्त परीक्षा–2011
(परीक्षा कोड– डी–02/2011)

संख्याःपीआरपीबीःएक–1/2011 दिनांक 19–05–2011

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के वेतनमान–पे बैण्ड–9300–34800 व ग्रेड पे–4200 के क्रमशः 3698 एवं 312 रिक्त पदों, जिनके श्रेणीवार विवरण निम्नवत् हैं, को भरने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

क्र0सं0	श्रेणी	उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस	प्लाटून कमाण्डर
1	सामान्य	1849	156
2	अन्य पिछडा वर्ग	998	84
3	अनुसूचित जाति	777	66
4	अनुसूचित जन जाति	74	6
योग		**3698**	**312**

टिप्पणीः–

(1) प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ही है।

(2) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये 2 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 5 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिये 20 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा ।

(3) उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा संयुक्त परीक्षा में श्रेष्ठताक्रम एवं अभ्यर्थी द्वारा दी गयी वरीयताक्रम (Order of preference) के आधार पर चयन किया जायेगा।

(4) उपरोक्त तालिका में अंकित रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है ।

आवेदन पत्र

1– आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अधिसूचित डाकघरों में दिनांक 26–05–2011 से विक्रय हेतु उपलब्ध होंगे। अधिसूचित डाकघरों की सूची **परिशिष्ट–1** संलग्न है ।

2– आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अधिसूचित डाकघरों से विहित शुल्क रू0 50/–का भुगतान कर क्रय किये जा सकेगें,

जिसकी रसीद सम्बन्धित डाकघर द्वारा दी जायेगी। आवेदन पत्र ओ0एम0आर0 प्रपत्र के रूप में होंगे तथा अभ्यर्थी क्रय किये गये ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र पर ही आवेदन कर सकेंगे।

3– विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित डाकघर में अन्तिम तिथि 25–06–2011 को सायं 05.00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। इसके पश्चात् आवेदन पत्र सम्बन्धित डाकघर द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र जिस डाकघर से क्रय किये गये हैं, उसी डाकघर में जमा किये जायेंगे।

4– ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र भरते समय इरेजर/सफेदा/करेक्टिगं फ्ल्यूड अथवा ब्लेड का प्रयोग कतई न किया जाये अन्यथा आवेदन पत्र में भरे गये गोले मशीन द्वारा नहीं पढ़े जायेंगे तथा ऐसे आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5– ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र क्रय कर लेने पर उसका मूल्य वापस नहीं किया जायेगा चाहे उसे अभ्यर्थी द्वारा प्रयोग में लाया गया हो अथवा नहीं।

6– अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन पत्र भर सकेगा। एक से अधिक जगह से अथवा एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर उसका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा ।

7– अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र व निर्देश पुस्तिका में अंकित निर्देशों की उपेक्षा/अवहेलना करने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा ।

अर्हतायें:–

1–राष्ट्रीयता उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यानमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले ।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले ।

टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

2–शैक्षिक अर्हताः– उप–निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

3–अधिमानी अर्हतायेंः–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या

(चार) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या किसी विधि संस्थान से विधि की उपाधि प्राप्त की हो।

उक्तांकित अधिमानी अर्हता के कोई अंक नही होंगे, बल्कि अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में चयन (श्रेष्ठता सूची) में वरीयता दी जायेगी।

4–आयुः– अभ्यर्थी ने दिनांक 01–07–2011 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1990 के बाद का नहीं होना चाहिये ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों (केवल उ0प्र0 के मूल निवासी) के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगी।

5–वैवाहिक प्रस्थितिः– उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद हेतु ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं ।

भर्ती प्रकिया:–

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पद पर सीधी भर्ती हेतु भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से निम्नवत् होगी:–

क0सं0	प्रकिया	पुरूष	महिला (केवल उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद हेतु)	अभ्युक्ति
1	शारीरिक मानक परीक्षा	**ऊचॉई–** 1–सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई–168 से0मी0 । 2–अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई–160 से0मी0 । **सीने का फुलाव–** 1–सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लियें–न्यूनतम सीने की माप बिना फुलाये 79 से0मी0 और फुलाने पर 84 से0मी0 । 2–अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये–न्यूनतम सीने की माप बिना फुलाये 77 से0मी0 और फुलाने पर 82 से0मी0 । **टिप्पणी:–** सीने का फुलाव न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आवश्यक है।	**ऊचॉई–** 1–सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग/ अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई–152 से0मी0। 2–अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई–147 से0मी0 । **वजन–** न्यूनतम 40 कि0ग्रा0	अर्हकारी, इसमें सफल घोषित अभ्यर्थी ही प्रारम्भिक लिखित परीक्षा के लिये पात्र होंगे ।
2	प्रारम्भिक लिखित परीक्षा	शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की 200 अंको की होगी, जिसमें निम्नलिखित तीन खण्ड होंगे:– (1) सामान्य ज्ञान–100 अंक (2) संख्यात्मक योग्यता परीक्षा–50 अंक (3) तार्किक परीक्षा–50 अंक न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में सफल घोषित किये		अर्हकारी, इसमें सफल एवं चयनित अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये पात्र होंगे।

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">जायेंगे। इन सफल अभ्यर्थियों में से प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर रिक्तियों की संख्या के अधिकतम 18 गुना अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अर्ह होंगे।
प्रारम्भिक लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम के विवरण ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध करायी जा रही अनुदेश पुस्तिका में दिये गये हैं।</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>शारीरिक दक्षता परीक्षा</td><td>प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सफल पुरूष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में पूरा किये जाने की अपेक्षा की जायेगी।</td><td>प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सफल महिला अभ्यर्थियों से 05 किमी0 की दौड़ 35 मिनट में पूरा किये जाने की अपेक्षा की जायेगी।</td><td>अर्हकारी, इसमें सफल घोषित अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा के लिये पात्र होंगे ।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>मुख्य लिखित परीक्षा</td><td colspan="2">शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जो निम्नलिखित विषयों में 400 अंको की होगीः–
<u>विषय</u> — <u>अधिकतम अंक</u>
1–सामान्य हिन्दी — 75 अंक
हिन्दी निबन्ध — 25 अंक
2–मूलविधि एवं संविधान — 100 अंक
(वस्तुनिष्ठ प्रकार की)
3– संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा — 100 अंक
(वस्तुनिष्ठ प्रकार की)
4– मानसिक अभिरूचि परीक्षा/ बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा
(वस्तुनिष्ठ प्रकार की) — 100 अंक

कुल अंक– 400 अंक
प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल अभ्यर्थी समूह परिसंवाद के लिए पात्र नहीं होंगे। सफल अभ्यर्थियों में से प्राप्तांक की श्रेष्ठता के आधार पर रिक्तियों की कुल संख्या के अधिकतम तीन गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी ही समूह परिसंवाद के लिए पात्र होंगे।
मुख्य लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम के विवरण ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध करायी जा रही अनुदेश–पुस्तिका में दिये गये हैं।</td><td>मुख्य लिखित परीक्षा में चयनित किये जाने वाले अभ्यर्थियों को ही समूह परिसंवाद में सम्मिलित किया जायेगा।</td></tr>
</table>

5	समूह परिसंवाद	मुख्य लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से समूह–परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। समूह परिसंवाद में एक पुलिस वाद अध्ययन परिसंवाद के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जिसे नियत समय के भीतर पूर्ण किया जायेगा। समूह परिसंवाद के लिए 20 अंक होगे, जिसमें अभ्यर्थियों के प्रबन्ध कौ ाल (5 अंक), प्रस्तुतीकरण (5 अंक), अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन सम्मिलित होगा।	मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत चयन सूची प्रकाशित की जायेगी।

<u>टिप्पणी</u>ः–शारीरिक मानक परीक्षा, प्रारम्भिक लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा व समूह परिसंवाद की तिथि, समय व केन्द्र की सूचना अनुक्रमांक सहित अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के माध्यम से यथासमय दी जायेगी तथा बोर्ड की वेबसाइट http://www.uppolrecpro.gov.in पर भी प्रकाशित की जायेगी ।

<u>आरक्षण व आयु सीमा में छूटः–</u> अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य) के लिये आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैंः–

<u>लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण</u>

क0 सं0	श्रेणी	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण–पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	21	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप–1	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी
2	अनुसूचित जनजाति	02	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप–1	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप–2	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

<u>क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण</u>

क्र0 सं0	समूह	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण–पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	02	05 वर्ष	आश्रित प्रमाण पत्र प्रारूप–3	जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / उपजिला मजिस्ट्रेट / तहसीलदार
2	भूतपूर्व सैनिक	05	*03 वर्ष	यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी
3	महिला	20	लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण की उपरोक्त तालिका क्रम संख्या 1–3 में अंकित श्रेणी के अनुसार	–	–

'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' का तात्पर्य उत्तर–प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और–

(एक) जिसने वीरगति प्राप्त की हो, या
(दो) जिसने कम से कम दो मास की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा हो, या
(तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए निरूद्ध हुआ हो, या
(चार) जिसने कम से कम दस बेंतो का दण्ड भोगा हो, या
(पांच) जो गोली से घायल हुआ हो, या
(छः) जिसे फरार घोषित किया गया हो, या
(सात) जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो, या
(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो, या
(नौ) जो इन्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो, या
(दस) जिसे गांधी–इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो।

इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।

'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' के 'आश्रित' का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के–

(एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), और
(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) विवाहित अथवा अविवाहित से है।

''भूतपूर्व सैनिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में किसी कोटि में योधक या अनायोधक के रूप में कम से कम 06 मास की अवधि के लिये लगातार सेवा की हो और जो–

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या

(दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है, या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है ।

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की शैक्षिक योग्यता की अर्हता स्नातक मानी जायेगी जो मैट्रीकुलेट हैं तथा इण्डियन आर्मी सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की सशस्त्र सेवा में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।

(छः) और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं:–

(1) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,

(2) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और

(3) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

(सात) संघ की सशस्त्र सेना में कार्यरत ऐसे व्यक्ति जो सेवा से सेवा निवृत्त होने पर भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आयेंगे उन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए एक साल पहले अनुमति प्रदान की जा सकती है और वे व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक को अनुमन्य सारे लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे, किन्तु उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति तब तक नहीं मिलेगी जब तक वे संघ की सशस्त्र सेना में उस अवधि को पूरा नहीं कर लेंगे। अतः ऐसे सैनिक जो अभी सेना में सेवारत हैं तथा जिन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए एक साल पहले यूनिट के कमाण्डेन्ट द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, वह भी इस भर्ती प्रकिया में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।

<u>टिप्पणी:–</u>

(1) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा ।

(2) क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

*(3) भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

<u>अन्य</u>

1— उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पदों पर यह भर्ती अस्थाई है।

2— अपूर्ण तथा अपेक्षित योग्यता एवं अर्हता पूर्ण न करने वाले आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेगें एवं इस सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार/दावा मान्य नहीं होगा।

3— जो अभ्यर्थी अपने चयन हेतु किसी प्रकार की कोई सिफारिश करवाने अथवा किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेगा उसे अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

4— किसी तथ्य को छुपाने या गलत तथ्य अंकित करने पर अभ्यर्थी का आवेदन भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

5— अभ्यर्थी का अंतिम चयन उसके चिकित्सीय परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन होगा ।

6— अभ्यर्थी को शारीरिक व मानसिक रूप से भली—भांति स्वस्थ होना चाहिये। **शारीरिक रूप से विकलांग भर्ती के लिये पात्र न होंगे ।**

7— अभ्यर्थी दिवालिया न हो तथा किसी दण्ड न्यायालय द्वारा कभी दण्डित न हुआ हो।

8— अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी पद के सम्बन्ध में अभ्यर्थन की दी गयी वरीयताक्रम (Order of preference) अन्तिम होगी तथा इसमें परिवर्तन/संशोधन हेतु बोर्ड द्वारा कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अपर सचिव (भर्ती)
उ0 प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

प्रारूप–1

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..................................सुपुत्र/सुपुत्री/श्री....... ....निवासी ग्राम....................तहसील......................नगर...........................जिला................ ....उत्तर प्रदेश राज्य की....................................जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। श्री/श्रीमती/कुमारी.......................................तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के. ....ग्राम.............................तहसील.................नगर..............................जिला...........................में सामान्यतया रहता है।

स्थान.................................. हस्ताक्षर...............................

दिनांक............................... पूरा नाम..............................

पदनाम ....

मुहर...................................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/
परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट,

यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

प्रारूप–2

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..................................सुपुत्र/सुपुत्री/श्री....... ....निवासी ग्राम....................तहसील......................नगर...........................जिला................ ....उत्तर प्रदेश राज्य की....................................पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय पांच लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।श्री/श्रीमती/कुमारी...................................... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम............................तहसील............................नगर......... ....जिला..........................में सामान्यतः रहता है ।

स्थान.................................   हस्ताक्षर..............................

दिनांक...............................   पूरा नाम.............................

पदनाम...............................

मुहर.................................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

प्रारूप–3

उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

शासनादेश संख्या–4/3/1982–कार्मिक–2,1997 दिनांक 26 दिसम्बर, 1997

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..निवासी................................ ग्राम..........................तहसील.....................नगर.......................जिला......................उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)........................पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)..................................के आश्रित हैं।

स्थान..

दिनांक....................................... हस्ताक्षर......................................

पूरा नाम....................................

पद नाम......................................

मुहर..

जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/उपजिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

<u>परिशिष्ट–1</u>

अधिसूचित डाकघरों की सूची जहां से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते हैं–

क0सं0	जनपद	डाकघर का नाम	क0सं0	जनपद	डाकघर का नाम
1	अलीगढ़	मुख्य डाकघर अलीगढ़	67	बुलन्दशहर	मुख्य डाकघर, खुर्जा
2	अलीगढ़	अतरौली	68	चन्दौली	मुख्य डाकघर चन्दौली
3	महामाया नगर	हाथरस	69	चित्रकूट	मुख्य डाकघर कर्वी
4	इलाहाबाद	मुख्य डाकघर इलाहाबाद	70	देवरिया	मुख्य डाकघर देवरिया
5	इलाहाबाद	मुख्य डाकघर कचहरी इलाहाबाद	71	देवरिया	सलीमपुर
6	इलाहाबाद	उप डाकघर इलाहाबाद नगर	72	एटा	मुख्य डाकघर एटा
7	अम्बेडकर नगर	मुख्य डाकघर अकबरपुर	73	एटा	जलेसर
8	औरैया	औरैया	74	इटावा	मुख्य डाकघर इटावा
9	आजमगढ़	मुख्य डाकघर आजमगढ़	75	फैजाबाद	मुख्य डाकघर फैजाबाद
10	आजमगढ़	निजामाबाद	76	बहराईच	मुख्य डाकघर बहराईच
11	बागपत	बागपत	77	बलिया	मुख्य डाकघर बलिया
12	बागपत	मुख्य डाकघर बड़ौत	78	बलिया	मुख्य डाकघर रसड़ा
13	बस्ती	हरैया	79	बलरामपुर	मुख्य डाकघर बलरामपुर
14	बिजनौर	मुख्य डाकघर बिजनौर	80	बांदा	मुख्य डाकघर बांदा
15	बिजनौर	मुख्य डाकघर धामपुर	81	बांदा	उप डाकघर बबेरू
16	बिजनौर	मुख्य डाकघर नजीबाबाद	82	बाराबंकी	बाराबंकी
17	बदायूं	मुख्य डाकघर बदायूं	83	बाराबंकी	हैदरगढ़
18	बदायूं	गुन्नौर	84	बरेली	मुख्य डाकघर बरेली
19	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	85	बरेली	बरेली नगर
20	बरेली	आंवला	86	प्रतापगढ़	पट्टी
21	बस्ती	मुख्य डाकघर बस्ती	87	रायबरेली	मुख्य डाकघर रायबरेली
22	गोरखपुर	उप डाकघर बांसगांव	88	शाहजहांपुर	मुख्य डाकघर शाहजहांपुर
23	हमीरपुर	मुख्य डाकघर हमीरपुर	89	शाहजहांपुर	मुख्य डाकघर तिलहर
24	हरदोई	मुख्य डाकघर हरदोई	90	सिद्धार्थ नगर	मुख्य डाकघर बांसी
25	हरदोई	मुख्य डाकघर सण्डीला	91	कौशाम्बी	मुख्य डाकघर सिराथू
26	जालौन	मुख्य डाकघर उरई	92	कुशीनगर	मुख्य डाकघर पडरौना
27	जालौन	उप डाकघर कालपी	93	लखीमपुर खीरी	मुख्य डाकघर खीरी
28	जौनपुर	मुख्य डाकघर जौनपुर	94	ललितपुर	मुख्य डाकघर ललितपुर
29	जौनपुर	मुख्य डाकघर मडियांहू	95	लखनऊ	प्रधान डाकघर लखनऊ
30	झांसी	मुख्य डाकघर झांसी	96	लखनऊ	मुख्य डाकघर चौक लखनऊ
31	झांसी	उप डाकघर मऊरानीपुर	97	लखनऊ	दिलकुशा
32	ज्योतिबाफूलेनगर	मुख्य डाकघर अमरोहा	98	लखनऊ	आर.एस.एम.नगर
33	कन्नौज	मुख्य डाकघर कन्नौज	99	लखनऊ	अलीगंज
34	कानपुर देहात	उप डाकघर अकबरपुर	100	महराजगंज	मुख्य डाकघर महराजगंज
35	कानपुर नगर	मुख्य डाकघर कानपुर	101	महोबा	मुख्य डाकघर महोबा
36	कानपुर नगर	मुख्य डाकघर कानपुर कैण्ट	102	मैनपुरी	मुख्य डाकघर मैनपुरी
37	कानपुर नगर	मुख्य डाकघर नवाबगंज	103	मैनपुरी	उप डाकघर मैनपुरी नगर
38	फैजाबाद	उप डाकघर बीकापुर	104	मथुरा	मुख्य डाकघर मथुरा
39	फरूर्खाबाद(फतेहगढ़)	मुख्य डाकघर फतेहगढ़	105	मथुरा	उप डाकघर छाता

40	फतेहपुर	मुख्य डाकघर फतेहपुर	106	मऊ	मुख्य डाकघर मऊनाथ भंजन
41	फतेहपुर	उप डाकघर बिन्दकी	107	सुलतानपुर	मुख्य डाकघर सुलतानपुर
42	फिरोजाबाद	मुख्य डाकघर फिरोजाबाद	108	सुलतानपुर	मुख्य डाकघर अमेठी
43	फिरोजाबाद	उप डाकघर शिकोहाबाद	109	उन्नाव	उन्नाव
44	गौतमबुद्ध नगर	मुख्य डाकघर नोएडा	110	वाराणसी	मुख्य डाकघर वाराणसी
45	गौतमबुद्ध नगर	दादरी	111	वाराणसी	मुख्य डाकघर वाराणसी कैण्ट
46	गाजियाबाद	मुख्य डाकघर गाजियाबाद	112	वाराणसी	उप डाकघर बी.एच.यू.
47	गाजियाबाद	मोदीनगर	113	संतरविदास नगर	ज्ञानपुर
48	गाजीपुर	गाजीपुर	114	खीरी	मुख्य डाकघरगोलागोकर्णनाथ
49	गाजीपुर	मोहम्मदाबाद युसुफपुर	115	रायबरेली	मुख्य डाकघर लालगंज
50	गोण्डा	मुख्य डाकघर गोण्डा	116	रामपुर	मुख्य डाकघर रामपुर
51	गोण्डा	नवाबगंज	117	रामपुर	बिलासपुर
52	गोरखपुर	मुख्य डाकघर गोरखपुर	118	सहारनपुर	मुख्य डाकघर सहारनपुर
53	गोरखपुर	मुख्य डाकघर कुनराघाट	119	सहारनपुर	देवबन्द
54	मेरठ	मुख्य डाकघर मेरठ कैण्ट	120	संतकबीरनगर	मुख्य डाकघर खलीलाबाद
55	मेरठ	मुख्य डाकघर मेरठ नगर	121	संत रविदासनगर	भदोही
56	मेरठ	सरधना	122	सीतापुर	मुख्य डाकघर सीतापुर
57	मिर्जापुर	मुख्य डाकघर मिर्जापुर	123	सीतापुर	उप डाकघर सिधौली
58	मिर्जापुर	चुनार	124	सीतापुर	उप डाकघर सीतापुर नगर
59	मुरादाबाद	मुरादाबाद	125	सोनभद्र	बड़ा डाकघर राबर्ट्सगंज
60	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	126	श्रावस्ती	भिनगा
61	मुरादाबाद	मुख्य डाकघर सम्भल	127	सोनभद्र	शक्तिनगर
62	मुरादाबाद	मुख्य डाकघर चंदौसी	128	आगरा	मुख्य डाकघर आगरा फोर्ट
63	मुजफ्फरनगर	मुख्य डाकघर मुजफ्फरनगर	129	आगरा	मुख्य डाकघर आगरा कैन्ट
64	मुजफ्फरनगर	खतौली	130	आगरा	संजय पैलेस
65	पीलीभीत	मुख्य डाकघर पीलीभीत	131	कांशीराम नगर	कासगंज
66	प्रतापगढ	मुख्य डाकघर प्रतापगढ			